राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(7)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 जयपुर, दिनांकः 01 जून 2015

परिपत्र

विषयः– राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने के संबंध में।

इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक प.7(5) वित्त–1(1) आ.व्य./2012 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया था कि उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संस्थाओं के कामकाज की नियमित अन्तराल पर समीक्षा की जाये ताकि इन संस्थाओ में हानियों को कम किया जा सके तथा उन्हे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) के अनु. सं. 1.9.3 एवं 1.9.4 सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं में किये निवेश की समीक्षा की गई है। इन अनुच्छेदों में इन कम्पनियों में राज्य सरकार के निवेश, उनके वार्षिक लेखों में दर्शाये गये लाभ–हानि, लाभांश आदि पर टिप्पणी भी [redacted] की गई है, साथ ही यह भी अपेक्षा की गई है कि इन संगठनों के काम काज की नियमित समीक्षा की जाये।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों से पुनः अनुरोध है कि उनके नियंत्रणाधीन सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संस्थाओं के कामकाज की नियमित अन्तराल पर समीक्षा की जाये ताकि इन संस्थाओं में हानियों को कम किया जा सके तथा उन्हे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

(पी. एस. मेहरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय
2. सचिव, मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर [redacted]
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित), राजस्थान
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग
10. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

(शरद मेहरा)
विशेषाधिकारी, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5153222 आई.पी. नं. 24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website www.finance.rajasthan.gov.in e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in